

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	ति
	08/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण की तामील हुए दो माह से भी अधिक समय हो चुका है, वाक्य सम्बन्ध तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी स. 1 लगायत 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर की बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर अपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी वकील द्वारा दौरान बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुए, उभयपक्षों को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष वाफ़स्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1238, 1230 कुल खिा 2 कुल रकबा 1.1700 हे० स्थित ग्राम खालनी, प.ड. माधोजद, भू०अ. नि. क्षेत्र तूंगा तह तूंगा जिला जयपुर पर ताँकलला वाद के मोके एवं रिकार्ड की अथास्थिति बनाये रखें हेतु आदेश दिया जाता है।</p> <p>पत्रावली फँसल शुमार होकर वाद तामील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(स. न.)